न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास -- श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 15/2016

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट्स**
श्रवणराम पुत्र पूनाराम जाति जाट निवासी रायधनु तहसील व जिला नागौर।		1तहसीलदार, नागौर 2पूनाराम 3प्रभुराम 4तेजाराम पुत्रान मनरूपराम 5नेनाराम पुत्र पूनाराम जातियान जाट निवासीगण रायधनु तहसील व जिला नागौर

उपस्थिति :-

1. श्री बी.आर. खुडीवाल, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री रमेश ढाका, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से।
2. श्री कुन्दन सिंह आचीणा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 15.11.2017

{1}--अपीलान्ट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा बंटवाडा आदेश दिनांक 03.12.2010 से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.01.2016 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु को विचाराधीन रखते हुए दिनांक 05.02.16 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट ने अपने अपील के समर्थन में तहसीलदार नागौर के निर्णय दिनांक 03.12.10 की फोटोप्रति व मौजा रायधनु के नामान्तरकरण सं. 1137 की फोटोप्रति पेश की है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से श्री रमेश ढाका अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 5 बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहे है।

{2}--उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने मियाद के बिन्दु पर बहस शुरू करते हुए तर्क दिया कि गलत तौर से बिना विधिक उतराधिकारियों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही धारा 53 राज. काश्त. अधि. के तहत मिली भगत करके गलत रूप से आदेश पारित करवा लिया जिसकी जानकारी अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 5 को नही थी। दिनांक 26.12.15 को नकल खतोनी लेने पर अलग अलग खाता होने की जानकारी होने पर अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जो माकूल आधारों पर होने से अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा अंतिम बहस शुरू करते हुए बताया कि--

{2}(I)--उक्त भूमि अपीलांट की पुश्तैनी भूमि है। इसलिये डिक्री बंटवाडा का निर्णय तहसीलदार, नागौर का मनरूपराम के तमाम वारिसान की जानकारी किये बिना ही तथा रेस्पोडेन्ट पूनाराम के जायंदा पुत्र अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 5 को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही बाला-बाला ही तथ्यों व विधि के विपरीत बिना साक्ष्य लिये कर दिये जाने से अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

{2}(II)--उक्त बंटवाडा के संबंध में रेस्पोडेन्ट सं. 2 को भी कोई जानकारी नही दी गई और न ही उसके हस्ताक्षर करवाये गये, रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 बहुत ही चालाक व होशियार व्यक्ति है। जिन्होंने अपनी मर्जी से उक्त भूमि का बंटवाडा करके तहसीलदार नागौर से डिक्री प्राप्त कर ली। जबकि उक्त पुश्तैनी भूमि में सभी काश्तकारों का बराबर बराबर बंट व हक हिस्सा है। किन्तु रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 ने खसरा नं. 275 के तीरछे बंट करना बताते हुए अपने बंट व हिस्से में सडक पर अधिक भूमि रखी तथा रेस्पोडेन्ट पूनाराम के बंट में बिल्कुल ही कम भूमि बतायी गई है। जबकि उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है। जिसमें से बराबर बराबर बंट होना चाहिये था। किन्तु मौके पर आज दिन भी हम बराबर बराबर खसरा नं. 275 पर काबिज काश्त है तथा खसरा नं. 274 के भी तीन बराबर बराबर बंट रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 4 द्वारा किये हुए है। जिस पर वे काश्त करते है।

अपर कलक्टर, नागौर

किन्तु अब रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 उक्त गलत बंटवाडे की आड में उक्त बेशकीमती भूमि का अन्य अजनबी व्यक्तियों को बेचान हस्तान्तरण करने पर उतारू है। यदि वे उक्त कृत्य में सफल हो गये तो अपीलांट के साथ अन्याय होगा। इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अवैध व शून्य है। जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

{2}(III)–गांवों के संग प्रशासन में गलत व विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट व अन्य वारिसान को सूचना दिये बिना ही व मौके की स्थिति के विपरीत रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 ने आपस में मिलीभगत करके विधिविरूद्व तरीके से उक्त आदेश पारित करवा लिया। जो अवैध होने से खारिज होने योग्य है।

{2}(IV)–पत्रावली के तथ्यों परिस्थितियों व वंश वृक्ष को देखते हुए तमाम सह काश्तकारों को जिन्हे रेस्पोडेन्ट की सूची में दर्ज किया गया है, को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही बंटवाडा करने में त्रुटि की है। जिससे आदेश बंटवाडा निरस्तनीय है।

{2}(V)–धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए पुराने रेकर्ड का अवलोकन किये बिना ही व तमाम पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय करने में त्रुटि की है। बंटवाडा से संबंधित खसरा पर अकेले रेस्पोडेन्ट सं. 2 का हक पैदा हुआ है और न ही अधिकार है। इसलिये बंटवाडा आदेश निरस्तनीय है।

{3}–रेस्पोडेन्ट नं. 2 के अधिवक्ता द्वारा अपीलांट की अपील का समर्थन किया गया है। जबकि राजकीय अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि रिकार्ड पर दर्ज सहखातेदारान पूनाराम, प्रभुराम व तेजाराम द्वारा आपसी सहमति से बंटवाडा किया गया है तथा माफिक बंट मौके का नक्शा भी इनके द्वारा हस्ताक्षरित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद है। ऐसी स्थिति में बंटवाडा विधि अनुसार आपसी सहमति से हुआ है। जिसमें अब कोई हस्तक्षेप नही किया जा सकता है।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3 व 4 रिकार्डेड खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत दिनांक 03.12.10 को अपनी सहखातेदारी भूमि का बंटवाडा करवाया गया है। मौके पर विभाजन को लेकर नक्शा भी प्रस्तुत किया गया है। जिस पर इन खातेदारान से हस्ताक्षरित व तहसीलदार से प्रमाणित है तथा बंटवाडे के सहमति पत्र में भी विभाजन का नक्शा साथ में प्रस्तुत करते हुए उक्त विभाजन का अभिन्न अंग माना गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि होना प्रतीत नही होता है।

{5}–उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}–निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर
अपर कलक्टर, नागौर